

प्रारं. आरं. एम. कॉलेज भोकाराम

विषय - राजनीति विज्ञान

सनातन प्रतिष्ठान पार्ट - III Paper-V

डॉ० उमेश चन्द्र शुक्ल

एसो० प्रोफेसर - राजनीति विज्ञान

लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन

प्रशासन के दो आयामों की बात की जाती है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन। लोक प्रशासन का संबंध लोकहित से संबंधित प्रशासकीय कार्यों से है। इसकी रूपरेखा इसके पीछे काबू एवं प्रशासन की शक्ति, इसके कार्मिकों की सेवाशर्तों आदि में औपचारिकता का पालन अनिवार्य होता है। इसके विपरीत एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ लोक प्रशासन नहीं, बल्कि निजी प्रशासन देखने को मिलता है। यह क्षेत्र भी काफी फल-फूल रहा है तथा कई प्रकार के राष्ट्रीय एवं सामाजिक दायित्वों का निर्वहण करता है। लचकें इसका प्रशासकीय ढाँचा, उद्देश्य कर्मियों की सेवा शर्तों भिन्न होती हैं। इसके पीछे मूल भावना लाभ कमाने की होती है तथा ढाँचागत औपचारिकता का अभाव होता है। इसके बावजूद इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जनसेवा का बड़ा क्षेत्र इसमें जुड़ता जा रहा है। अतः इन दोनों प्रशासनों का तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है।

इस तुलनात्मक अध्ययन को तीन लेखों में देखा जा सकता है - समानता की दृष्टि से, अलग-अलग की दृष्टि से तथा तीसरा दृष्टि कोण यह है कि दोनों की प्रशासनों ने एक दूसरे की अच्छाइयों को अपनाकर प्रशासकीय क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया है।

A - समानता का दृष्टिकोण -

कई लेखकों एवं विचारकों ने इन दोनों प्रशासनों के बीच समानता की बात की है। हेनरी फेयोल, उबिर्क, मेरी पार्कर आदि का भी दृष्टिकोण है। फेयोल ने लिखा है, "We are no longer confronted with several administrative sciences but with one which can be applied equally well to

Public and to Private affairs.

लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता की दृष्टि से निम्न तर्क दिये जाते हैं -

- (i) संगठन की आवश्यकता - लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों में ही संगठन की आवश्यकता समान रूप से पड़ती है। संगठन के चारों आधारों - षष्ठी, स्थापना, उद्देश्य और प्रक्रिया दोनों ही प्रशासनों में सामान्य रूप में देखने को मिलते हैं।
- (ii) कार्य प्रणाली - कार्य प्रणाली की दृष्टि से भी दोनों प्रशासनों में समानता पाई जाती है। नियोजन, समन्वय, संचार, आदेश की एकरा, पदलोपान आदि का स्वरूप दोनों प्रशासनों में एक ही जैसा होता है।
- (iii) समान दायित्व बोध - दोनों ही प्रशासनों में कार्यरत कार्मिकों को अपने कार्य के प्रति दायित्व बोध समान होता है। अपने दायित्वों का निर्वाह करना और इसका पालन आवश्यकता पड़ने पर कार्यरतों का समान दोनों प्रशासनों में समान रूप से होता है।
- (iv) जनसंपर्क - दोनों ही प्रशासन संगठनों के कार्यों के स्तर में आवश्यक जनसंपर्क अभिमान का संचालन समान रूप से करते हैं।
- (v) अन्वेषण - प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान करने एवं विकास की दृष्टि से दोनों ही प्रशासनों में अन्वेषण की प्रक्रिया एक जैसी चलती है। इस हेतु दोनों ही प्रशासनों में कर्मचारियों को शोधकार्य के लिए भी भेजा जाता है। इस प्रकार कई दृष्टियों से दोनों ही प्रशासनों के बीच समानता के तत्व बतलाये जाते हैं।

B. असमानता का दृष्टिकोण :-

लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानता का दृष्टिकोण रखने वाले विचारकों में साइमन तथा एपिलानी प्रमुख हैं। साइमन के अनुसार लोक प्रशासन राजनीति से परंपूर्ण नौकरशाही और लालफीताशाही पर आधारित है जबकि निजी प्रशासन राजनीति शून्य और यथार्थ से काम करने वाला होता है।

एपलबी के अनुसार लोक प्रशासन लोक प्रशासन निजी प्रशासन से तीन कार्यों से भिन्न है - (i) इसका चयन राजनीतिक होता है। (ii) इसका क्षेत्र व्यापक होता है तथा (iii) यह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।

दोनों प्रशासनों के बीच अन्तर को निम्न कार्यों पर स्पष्ट किया जा सकता है -

- (1) लाभ के आधार पर - निजी प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लाभ करना है। यहाँ कार्य कुशलता की कसौटी भी लाभ ही है। इसके विपरीत लोक प्रशासन का उद्देश्य लाभ नहीं बल्कि लोककल्याण है। स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से लोक प्रशासन का उद्देश्य देखा जा सकता है।
- (2) उत्तरदायित्व - लोक प्रशासन का उत्तरदायित्व सार्वजनिक रूप से जनता, साकार, संविधान के प्रति होता है। इसके विपरीत निजी प्रशासन में अपने प्रशासनिक महकमों के संचालक के प्रति होता है।
- (3) व्यवस्था में एकतपता - लोक प्रशासन में व्यवस्था की एकतपता का विस्तार पाया जाता है। एक विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है। इसमें किसी के साथ विशिष्ट व्यवस्था अपराध्य माना जाता है। निजी प्रशासन में ~~उच्च~~ उद्यम की आवश्यकता एवं लाभ की दृष्टि से व्यवस्था में एकतपता नहीं बिगता पाई जाती है।
- (4) एकाधिकार की दृष्टि से - लोक प्रशासन में एकाधिकार नाम से कोई बात नहीं होती है, अगर देखा जाए तो एकाधिकार सरकार को होता है। निजी प्रशासन में एकाधिकार व्यक्ति के रूप में संचालक तथा उसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर को होता है।
- (5) भिन्न आचार संहिता - लोक प्रशासन में विभिन्न कार्यों के संदर्भ में औपचारिकताओं का पालन अनिवार्य होता है, जबकि निजी प्रशासन में कार्य की महत्ता की दृष्टि से औपचारिकताएँ शिथिल रहती हैं। परीक्षा स्वरूप लोक प्रशासन में लापफीताशही की संभावना होती है। निजी प्रशासन में लापफीताशही का कोई स्थान नहीं है।
- (6) सेवी वर्ग की सुरक्षा - लोक प्रशासन की सेवाशर्तों के अनुसार सेवी वर्ग सुरक्षित माने जाते हैं। निजी प्रशासन में सेवी वर्ग हमेशा अपने को असुरक्षित समझते हैं।

7. वित्तीय नियंत्रण - लोक प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण की एक विधा समत प्रतीता है। निजी प्रशासन में वित्तीय नियंत्रण उनके दायों में होता है, जो इंजीनियरिंग करते हैं।
8. क्षेत्र की दृष्टि से - लोक प्रशासन का क्षेत्र व्यापक होता है, जबकि निजी प्रशासन कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में ही उपयुगी हो सकता है।

लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन की समानता -
 समानता के उपर्युक्त विशेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में विपत्ति मिला है। आज दोनों ही प्रशासनिक क्षेत्र एक दूसरे के गुणों को अपनाते हुए लगभग परीक्षण देने की बोज में हैं। लोक प्रशासन आज निजी प्रशासन की कार्यकुशलता को अपनाता चाहता है, तो निजी प्रशासन भी लोक प्रशासन के पारदर्शिता, एक रूपता, वित्तीय अनुशासन तथा सेवा शक्ति को अपनाता चाहता है। आज लोक प्रशासन में निगम तथा स्वतंत्र निगमक आयोग की रचनाएँ अभी का परीक्षण हैं। निजी प्रशासन में भी अच्छी सेवा शक्तों के कारण कार्मिक कार्य करने को शुरू हैं। ईदलावाद में Administrative Staff College में सहायी तथा निजी-दोनों क्षेत्रों के प्रशासकों के लिए Training का प्रबंध है। अतः निवर्तित यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच की खाई दिनों-दिन कमती जा रही है। आज दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

Prakash